

# देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा —:

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या 8/15-16/62 भू अ0

दिनांक : 23-2-16

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-  
देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु ग्राम-सिंहपुर योगीडीह, थाना-जसीडीह, थाना संख्या-390,  
अंचल-देवघर, जिला - देवघर के कुल-19.94 एकड़ भूमि अपेक्षित है।  
इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक  
माप से कमोवेश 19.94 एकड़ है और जो ग्राम-सिंहपुर योगीडीह, थाना-जसीडीह, थाना संख्या-390,  
अंचल-देवघर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क. सं.	खाता सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	293	रैयती	बाड़ी-1	0.38	संतोष तुरी वो अंछी देवी, पिता-स्व. मोती तुरी, ग्राम-सिंहपुर योगीडीह	खेसरा संख्या 192, 185, 190, 220, 217, 233, 288	मौजा बाबूपुर नं. 389	मौजा सिंहपुर	मौजा सिमरिया नं० 388
2	6	294	रैयती	बाड़ी-1	0.29	संतोष तुरी वो अंछी देवी, पिता-स्व. मोती तुरी, ग्राम-सिंहपुर योगीडीह				
3	9	201	रैयती	धानी-1	0.05	ननकू मांझी, पे० स्व. लक्ष्मी मांझी वो मुरली देवी, पति-स्व. गोमी मांझी, वो मालो देवी वो अरुणा देवी, पे०- स्व. नेमानी मांझी वो वासुदेव मांझी वो अनिल मांझी वो गोपाल मांझी, पे०- स्व. फुलेश्वर मांझी वो करमचन्द मांझी पे०- स्व. शंतु मांझी				
4	9	202	रैयती	धानी-1	0.02					
5	9	203	रैयती	धानी-1	0.09					
6	9	204	रैयती	धानी-1	0.26					
7	9	206	रैयती	धानी-1	0.11					
8	9	207	रैयती	धानी-1	0.11					
9	9	208	रैयती	धानी-1	0.11					
10	11	199	रैयती	धानी-1	0.54					
11	11	211	रैयती	धानी-1	0.27					
12	11	212	रैयती	धानी-1	0.36					
13	11	218	रैयती	धानी-1	0.18	सुकदेव महतो वो बाबू महतो वो भुवनेश्वर महतो, पे० स्व-कैलाश महतो विन्देश्वरी महतो वो उमेश महतो पे० स्व० पदू महतो वो गागो देवी, पति स्व०- जमींदार महतो।				
14	11	290	रैयती	धानी-1	1.05					
15	12	291	रैयती	बाड़ी-1	0.73	डहरू महतो वो घनश्याम महतो पिता-धनी महतो वो दिकलु महतो, पिता-स्व० बिरजू महतो				
16	14	214	रैयती	धानी-1	0.33	सीता देवी पति-स्व. अनुप मिर्घा वो मालती देवी पति स्व. प्रसादी तुरी वो कुसमी देवी पति स्व. छोटेलाल तुरी वो पेड़ो तुरी, पिता स्व. रसगुल मिर्घा				
17	16	200	रैयती	बाड़ी-1	0.41	समरी देवी, पति-स्व. औकिल महतो उर्फ यादव वो सतीश प्र० यादव वो शंकर यादव वो मुकुन यादव पे०- औकिल महतो उर्फ यादव वो पानवती देवी, पति स्व.- तुतका महतो वो कारी देवी				
18	16	292	रैयती	बाड़ी-1	1.10					
19	17	165	रैयती	धानी-1	3.40					
20	17	167	रैयती	धानी-1	1.48					

21	17	169	रैयती	बाड़ी-1	0.58	पति-सहदेव महतो वो कदमी देवी पति- गेंदा महतो वो शांति देवी, पति-दिनेश महतो				
22	17	190	रैयती	बाड़ी-1	0.60					
23	17	220	रैयती	धानी-1	0.40					
24	17	209	रैयती	धानी-1	0.11					
25	17	205	रैयती	धानी-1	0.16					
26	17	213	रैयती	धानी-1	0.37					
27	17	210	रैयती	धानी-1	0.06					
28	17	216	रैयती	बांध	3.33					
29	17	289	रैयती	बाड़ी-1	3.00					
30	17	192	रैयती	बाड़ी-1	0.06					
कुल रकवा					19.94					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्राम-नैयाडीह, थाना-कुण्डा, थाना संख्या-404, अंचल-देवघर, जिला-देवघर, क्षेत्रफल-19.62 एकड़ यानि-7.94 हे0 जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-**

(अधिनियम-30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30(2) देखें) भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए मौजा-नैयाडीह, थाना संख्या-404, रकवा -19.62 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। विस्थापितों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन प्रस्तावित आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का प्रारूप अवलोकन जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर/ अनुमंडल कार्यालय, देवघर/ संबंधित अंचल कार्यालय में किया जा सकता है।

30/11/16  
समाहर्ता-सह उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 15/11/16 भू अ0, देवघर, दिनांक 23-2-16

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

30/11/16  
समाहर्ता-सह उपायुक्त,  
देवघर।